संख्या- **179** /बयालिस-**2023-21**(बजट)/**2017**

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक : **13** जनवरी, **2023**

विषय **:-** रू0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 1395/बयालिस-2021-21(बजट)/2017, दिनांक 25.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10-77, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के क्रम में रू0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं / परियोजनाओं के प्रस्तावों/ आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण हेतु जिलाधिकारी के स्तर पर एक समिति गठित की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल विभाग में कोई सहायक अभियन्ता अथवा एक्सपर्ट तैनात नहीं है। अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं / परियोजनाओं के प्रस्तावों/ आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण हेतु उक्त समिति में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् होगी :-

(1) सम्बन्धित जनपद के लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियन्ता ।
(2) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन तैयार करने वाली संस्था का अधिशासी अभियन्ता ।
(3) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी ।

3- उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा रू0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं / परियोजनाओं के प्रस्तावों/ आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, खेल के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- (1)/बयालिस-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0 ।
3- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/ क्रीड़ा अधिकारी, खेल विभाग, उ0 प्र0 (निदेशक, खेल
5- द्वारा)
6- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, सी0एण्ड डी0 एस0 (उ0 प्र0 जल निगम), सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम विभाग, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार दुबे)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।